

## बिहार सरकार

### नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल  
सरकार के विशेष सचिव,

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,  
जिला शहरी विकास अभिकरण, कटिहार।

पटना, दिनांक- 25/3/17

**विषय:-** चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में मांग संख्या-48 (योजना) के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 2217-शहरी विकास-उपमुख्य शीर्ष-05-अन्य शहरी विकास परियोजनाएँ-लघु शीर्ष-001-निर्देशन और प्रशासन-उपशीर्ष-0105-अभियंत्रण कोषांग हेतु विपत्र कोड-P2217050010105 विषय शीर्ष-31 04 सहायक अनुदान-वेतन के अन्तर्गत उपबंधित राशि से जिला शहरी विकास अभिकरण, कटिहार में कार्यरत कार्यपालक/सहायक/कनीय अभियंताओं के वेतनादि भुगतान हेतु वेतनादि मद में कुल ₹2.54489 लाख (दो लाख चौवन हजार चार सौ नवासी रु०) मात्र के सहायक अनुदान के रूप में आवंटन की स्वीकृति।

**आदेश:-** स्वीकृत।

मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक- 06.05.2008 के मद सं०- 65 में दी गई स्वीकृति एवं विभागीय संकल्प ज्ञापांक- 2563, दिनांक- 21.05.08 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2016-17 में नगर विकास एवं आवास विभाग के अधीनस्थ जिला शहरी विकास अभिकरण, कटिहार में कार्यरत कार्यपालक/सहायक/कनीय अभियंताओं के वेतनादि एवं बकाया वेतनादि भुगतान हेतु वेतनादि मद में विभागीय राज्यादेश सं०-303 दिनांक-25/3/17 के आलोक में कुल ₹2.54489 लाख (दो लाख चौवन हजार चार सौ नवासी रु०) मात्र की स्वीकृति सहायक अनुदान के रूप में निम्नवत् आवंटित की जाती है:-

क्र० सं०	जिला शहरी विकास अभिकरण का नाम	कार्यरत बल	कुल आवंटित राशि (राशि रुपये में)
1	2	3	4
1	कटिहार	1	2,54,489.00

अर्थात् कुल आवंटित राशि ₹2.54489 लाख (दो लाख चौवन हजार चार सौ नवासी रु०) मात्र।

2. उपर्युक्त आवंटित राशि जिला शहरी विकास अभिकरण, कटिहार में पूर्णकालिक व्यवस्था के तहत कार्यरत बिहार अभियंत्रण सेवा के कार्यपालक/सहायक/कनीय अभियंताओं के 1 अप्रैल, 2016 से 31 मार्च, 2017 तक वेतनादि एवं बकाया वेतन महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग)

4

विभाग, पटना से प्राप्त वेतन पर्ची के आधार पर व्यय की जायेगी। संबंधित कार्यपालक अभियंताओं द्वारा वेतनादि मद में अतिरिक्त राशि से संबंधित माँग पत्र के आलोक में राशि की स्वीकृति प्रदान की गयी है। यह राशि जिस मद में स्वीकृत है, उसी मद में व्यय होगी। किसी भी परिस्थिति में विचलन द्वारा अन्य मद में व्यय नहीं किया जायेगा।

3. उपर्युक्त तालिका में आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, जिला शहरी विकास अभिकरण, कटिहार होंगे, जिनके द्वारा राशि की निकासी संबंधित कोषागार से वित्तीय वर्ष 2016-17 में की जाएगी। राशि की निकासी कर संबंधित अभियंताओं को एकाउन्टपेयी चेक के द्वारा भुगतान किया जाएगा।
4. राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी। चूँकि यह अनुदान है, इसलिए बिहार कोषागार संहिता के नियम- 431 के आलोक में यथा T.C. फॉर्म सं०- 42 में राशि की निकासी की जायेगी। राशि के भुगतान के पश्चात उपयोगिता प्रमाण-पत्र, टी०भी० नं० एवं तिथि सहित महालेखाकार, बिहार, पटना को भेजते हुए उसकी प्रति निश्चित रूप से विभाग को भी उपलब्ध करायी जायेगी।
5. राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 2561, दिनांक- 17.04.98 एवं पत्रांक- 423, दिनांक- 31.03.2016 में निहित अनुदेशों के आलोक में की जायेगी।
6. संबंधित अभियंताओं के सामान्य भविष्य निधि लेखा एवं अनिवार्य ग्रुप बीमा योजना मद में अनुमान्य राशि जमा करने हेतु उनके मूल वेतन से कटौती सुनिश्चित किया जायेगा।
7. यह राशि योजना मद के अनुदान मांग संख्या- 48 (योजना) के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 2217-शहरी विकास-उपमुख्य शीर्ष-05-अन्य शहरी विकास परियोजनाएँ -लघु शीर्ष-001-निदेशन और प्रशासन-उपशीर्ष-0105-अभियंत्रण कोषांग हेतु विपत्र कोड- **P2217050010105** विषय शीर्ष-31 04 सहायक अनुदान-वेतन के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में प्रावधानित राशि से विकलनीय होगी।
8. आवंटित राशि यदि चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में व्यय नहीं हो सके या व्यय होने की संभावना नहीं हो तो शेष राशि का प्रत्यर्पण दिनांक- 31.03.2017 तक अवश्य कर दिया जाय। किसी भी परिस्थिति में अव्यवहृत राशि को किसी बैंक खाता में नहीं रखा जाय अन्यथा इससे उत्पन्न अनियमितता की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
9. वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 7355 वि(2), दिनांक- 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।
10. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

✓

11. इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष, जिला शहरी विकास अभिकरण, कटिहार/संबंधित कोषागार पदाधिकारी एवं अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक- 2ब०/अभियंत्रण कोषांग(वेतन) 12-01/2014

/न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष, जिला शहरी विकास अभिकरण, कटिहार/संबंधित कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/योजना एवं विकास विभाग, पटना/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी- 02 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई०टी०प्रबंधक, को वेवसाईट पर अपलोड करने एवं सभी संबंधित को ई०मेल करने हेतु/कार्यवाह सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव।



## बिहार सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल  
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

\* अनौपचारिक रूप  
से परामर्शित

महालेखाकार,  
बिहार, पटना।

\*द्वारा-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना, दिनांक- 25/3/17

विषय:- चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में मांग संख्या-48 (योजना) के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 2217-शहरी विकास-उपमुख्य शीर्ष-05-अन्य शहरी विकास परियोजनाएँ-लघु शीर्ष-001-निदेशन और प्रशासन-उपशीर्ष-0105-अभियंत्रण कोषांग हेतु विपत्र कोड-P2217050010105 विषय शीर्ष-31 04 सहायक अनुदान-वेतन के अन्तर्गत उपबंधित राशि से जिला शहरी विकास अभिकरण, कटिहार में कार्यरत कार्यपालक/सहायक/कनीय अभियंताओं के वेतनादि भुगतान हेतु वेतनादि मद में कुल ₹2.54489 लाख (दो लाख चौवन हजार चार सौ नवासी रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में राशि की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक- 06.05.2008 के मद सं०- 65 में दी गई स्वीकृति एवं विभागीय संकल्प ज्ञापांक- 2563, दिनांक- 21.05.08 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2016-17 में नगर विकास एवं आवास विभाग के अधीनस्थ जिला शहरी विकास अभिकरण, कटिहार में कार्यरत कार्यपालक/सहायक/कनीय अभियंताओं के वेतनादि एवं बकाया वेतनादि भुगतान हेतु वेतनादि मद में कुल ₹2.54489 लाख (दो लाख चौवन हजार चार सौ नवासी रु०) मात्र की स्वीकृति सहायक अनुदान के रूप में निम्न प्रकार से प्रदान की जाती है:-

क्र० सं०	जिला शहरी विकास अभिकरण का नाम	कार्यरत बल	कुल स्वीकृत राशि (राशि रुपये में)
1	2	3	4
1	कटिहार	1	2,54,489.00

अर्थात् कुल स्वीकृत राशि ₹2.54489 लाख (दो लाख चौवन हजार चार सौ नवासी रु०) मात्र।

*इसके लिए अलग से आवंटनादेश निर्गत किया जायेगा।*

2. उपर्युक्त स्वीकृत राशि जिला शहरी विकास अभिकरण, कटिहार में पूर्णकालिक व्यवस्था के तहत कार्यरत बिहार अभियंत्रण सेवा के कार्यपालक/सहायक/कनीय अभियंताओं के 1 अप्रैल, 2016 से 31 मार्च,

2017 तक वेतनादि एवं बकाया वेतन महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, पटना से प्राप्त वेतन पर्ची के आधार पर व्यय की जायेगी। संबंधित कार्यपालक अभियंताओं द्वारा वेतनादि मद में अतिरिक्त राशि से संबंधित माँग पत्र के आलोक में राशि की स्वीकृति प्रदान की गयी है। यह राशि जिस मद में स्वीकृत है, उसी मद में व्यय होगी। किसी भी परिस्थिति में विचलन द्वारा अन्य मद में व्यय नहीं किया जायेगा।

3. उपर्युक्त तालिका में स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, जिला शहरी विकास अभिकरण, कटिहार होंगे, जिनके द्वारा राशि की निकासी संबंधित कोषागार से वित्तीय वर्ष 2016-17 में की जाएगी। राशि की निकासी कर संबंधित अभियंताओं को एकाउन्टपेयी चेक के द्वारा भुगतान किया जाएगा।

4. राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी। चूँकि यह अनुदान है, इसलिए बिहार कोषागार संहिता के नियम- 431 के आलोक में यथा T.C. फॉर्म सं०- 42 में राशि की निकासी की जायेगी। राशि के भुगतान के पश्चात उपयोगिता प्रमाण-पत्र, टी०भी० नं० एवं तिथि सहित महालेखाकार, बिहार, पटना को भेजते हुए उसकी प्रति निश्चित रूप से विभाग को भी उपलब्ध करायी जायेगी।

5. राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 2561, दिनांक- 17.04.98 एवं पत्रांक- 423, दिनांक- 31.03.2016 में निहित अनुदेशों के आलोक में की जायेगी।

6. संबंधित अभियंताओं के सामान्य भविष्य निधि लेखा एवं अनिवार्य गुप बीमा योजना मद में अनुमान्य राशि जमा करने हेतु उनके मूल वेतन से कटौती सुनिश्चित किया जायेगा।

7. यह राशि योजना मद के अनुदान मांग संख्या- 48 (योजना) के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 2217-शहरी विकास-उपमुख्य शीर्ष-05-अन्य शहरी विकास परियोजनाएँ -लघु शीर्ष-001-निदेशन और प्रशासन-उपशीर्ष-0105-अभियंत्रण कोषांग हेतु विपत्र कोड- P2217050010105 विषय शीर्ष-31 04 सहायक अनुदान-वेतन के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में प्रावधानित राशि से विकलनीय होगी।

8. स्वीकृत राशि यदि चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में व्यय नहीं हो सके या व्यय होने की संभावना नहीं हो तो शेष राशि का प्रत्यर्पण दिनांक- 31.03.2017 तक अवश्य कर दिया जाय। किसी भी परिस्थिति में अव्यवहृत राशि को किसी बैंक खाता में नहीं रखा जाय अन्यथा इससे उत्पन्न अनियमितता की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

9. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या 2ब०/अभियंत्रण कोषांग(वेतन) 12-01/2014 के पृष्ठ सं०- 121...../टि० पर दिनांक- 24-3-12 को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०- 121...../टि० पर दिनांक- 24-3-17 को प्राप्त है।

08

10. वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 7355 वि(2), दिनांक- 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।
11. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।
12. इसकी सूचना जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष, जिला शहरी विकास अभिकरण, कटिहार/कार्यपालक अभियंता, जिला शहरी विकास अभिकरण, कटिहार/संबंधित कोषागार पदाधिकारी एवं अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

05/3/17

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक- 2ब०/अभियंत्रण कोषांग(वेतन) 12-01/2014 303 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक-25/3/17

**प्रतिलिपि:-** संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष, जिला शहरी विकास अभिकरण, कटिहार/कार्यपालक अभियंता, जिला शहरी विकास अभिकरण, कटिहार/संबंधित कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/योजना एवं विकास विभाग, पटना/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी- 02 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई०टी०प्रबंधक, को वेवसाईट पर अपलोड करने एवं सभी संबंधित को ई०मेल करने हेतु/कार्यवाह सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

05/3/17

सरकार के विशेष सचिव।

21/10/17